



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272807  
CG-DL-E-22052026-272807

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948

No. 350]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2026

सा.का.नि. 385(अ).— केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चलचित्र (प्रमाणन) संशोधन नियम, 2026 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 में, —  
(क) नियम 33 के उपनियम (2) का लोप किया जाएगा।  
(ख) नियम 33 में, उपनियम (3), (4) और (5) को क्रमशः उप-नियम (2), (3) और (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

(ग) नियम 37 में, उप-नियम (3) के परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एम-11017/1/2026-डीओ (एफसी)]

अजय नागभूषण एम. एन., संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 214 (अ) तारीख 15 मार्च, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2026

**G.S.R. 385(E).**— In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes these rules further to amend the Cinematograph (Certification) Rules, 2024, namely:-

- (1) These rules may be called the Cinematograph (Certification) Amendment Rules, 2026.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Cinematograph (Certification) Rules, 2024,-
  - in rule 33, sub-rule (2) shall be omitted.
  - in rule 33, sub-rule (3), (4) and (5) shall be renumbered as sub-rule (2), (3) and (4), respectively.
  - in rule 37, the proviso to sub-rule (3) shall be omitted.

[F. No. M-11017/1/2026-DO(FC)]

AJAY NAGABHUSHAN M.N., Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 214(E), dated the 15<sup>th</sup> March, 2024.